बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(बांका)–43 / 2020.6254 **पटना, दिनांक** :–04/09/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, बांका के पत्रांक 77 दिनांक 30.01.2023 के द्वारा श्री सौरभ कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN00480) के विरूद्ध 4000–5000 / – रूपये श्री आकाश कुमार, ग्राम+पो0–हरिपुर, थाना–बांका, जिला–बांका से प्राप्त शिकायत पत्र एवं ऑडियो क्लीप के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भ्रष्टाचार की सूचना के आलोक में उनके द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1864 दिनांक 13.12.2022 एवं पत्रांक 1876 दिनांक 27.12.2022 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिया गया है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को तर्कहीन एवं असंतोषजनक करार दिया गया है।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के पत्रांक 1403 दिनांक 13.02.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है। स्पष्टीकरण में इनके द्वारा लगाए गए आरोप को निराधार बताते हुए षड़यंत्र के तहत फंसाने का तर्क दिया गया है। साथ ही इनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि ये कभी भी किसी भी व्यक्ति से पैसे का लेन–देन नहीं किये हैं एवं ईमानदारी तथा निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं।

प्राप्त स्पष्टीकरण पर निदेशालय पत्रांक 5305 दिनांक 07.06.2023 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से मंतव्य की मांग की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 966 दिनांक 28.07.2023 द्वारा मंतव्य प्रेषित किया गया है, जिसमें अंकित है कि श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथ्यहीन एवं भ्रामक है, क्योंकि आडियो क्लीप से यह प्रमाणित हो रहा है कि श्री कुमार शिकायतकर्त्ता से पैसे की मांग किए हैं एवं ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं मंतव्य तथा आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित साक्ष्य, प्रदर्श का अवलोकन किया गया है। अवलोकनोपरांत पाता हूँ कि आरोपित के द्वारा इनपर लगे आरोप के विरूद्ध ऐसा साक्ष्य अथवा कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है, जो की बंदोबस्त पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं मंतव्य को खंडित करता हो।

बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है आमजनो के बीच जाकर उनके सहयोग से कार्य को पूर्ण किया जाना। इनके द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने से आमजनो में सर्वेक्षण कार्य के प्रति अविश्वास के साथ–साथ भ्रष्टाचार करने जैसी भावना उत्पन्न होगी। इसका कुप्रभाव सर्वेक्षण कार्य अन्य संविदा कर्मियों पर पड़ सकता है। इस दृष्टिकोण से इनका संविदा अनुबंध समाप्त किया जाना ही उचित है।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम 8(4)"** के आलोक में श्री सौरभ कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN00480) का संविदा अनुबंध समाप्त किया जाता है।

4/9/23

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

कु0पृ0 30

ज्ञापांक :–03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(बांका)–43 / 2020 6254 **पटना, दिनांक** :–04/09/2023

प्रतिलिपि :– श्री सौरभ कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN00480), बंदोबस्त कार्यालय, बांका को सूचनार्थ प्रेषित।

30/8/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(बांका)–43 / 2020 6254 **पटना, दिनांक** :–04/09/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/8/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(बांका)–43 / 2020 6254 **पटना, दिनांक** :–04/09/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी निदेशालय अन्तर्गत R2R सॉफ्टवेयर में संधारित श्री कुमार की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/8/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप